कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सूरजपुर (छ.ग.)

//आदेश//

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक/ 1532 /वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 08.05.2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1214/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 19.03.2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 44/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 22.03.2020 तथा आदेश क्रमांक 1288/एस.डब्ल्यु/2020 सूरजपुर, दिनांक 31.03.2020 एवं आदेश कमांक 61/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 14.4.2020 एवं आदेश कमांक 67/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 03.05.2020 के द्वारा **दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973** के अंतर्गत धारा 144(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई थी।

2. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ.ग. शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि (COVID-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सामाजिक/शारीरिक दूरी (Social /Physical Distancing) को अपनाया जा रहा है।

3. अद्यतन स्थिति में भी कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रामक बीमारी पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। अभी भी संक्रमण की स्थिति कई स्थानों पर संभावित है। अतः संक्रमण से बचाव हेतु जिला-सूरजपुर में स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए यह उचित प्रतीत होता है कि सूरजपुर जिले में वर्तमान स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा दी गई छूट को प्रतिबंधित करते हुए सप्ताह में कम से कम 2 दिन पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) की जावे।

4. उपरोक्त परिस्थितियों के प्रकाश यह उचित है कि कार्यालयीन आदेश कमांक 1214/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 19.03.2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 44/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 22.03.2020 तथा आदेश क्रमांक 1288/एस. डब्ल्यु/2020 सूरजपुर, दिनांक 31.03.2020 एवं आदेश कमांक 61/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 14.4.2020 एवं आदेश कमांक 67/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 03.05.2020 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए इसे 17 मई 2020 के पश्चात आने वाले

District Magistrate Surajpur (C.G.)

Scanned by CamScanner

माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक बढ़ाया जावे एवं माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक निम्नानुसार गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जावे-

4.1. - जिले में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल है, के परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। केवल इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हो, उन्हें भी अपवादित स्थिति में तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।

4.2. - आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्न कार्यालय/प्रतिष्ठान को छोड़कर सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, साप्ताहिक हाट-बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेगी। प्रतिबंध से बाहर रखे गये प्रतिष्ठानों/सेवाओं की सूची निम्नानुसार है-

1. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी,
2. स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अन्तर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है।),
3. दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की ईकाई एवं संबंधित परिवहन,
4. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं,
5. खाद्य पदार्थ, दूध ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन मछली एवं अंडा के विक्रय/वितरण/भंडारण/परिवहन की गतिविधियां।
6. दुग्ध संयंत्र(मिल्क प्लांट),
7. घर पर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 6.30 बजे से 9.30 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेंगें।
8. मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवाएं जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन।
9. बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं।
10. जेल,
11. अग्निशमन सेवाएं,
12. ए.टी.एम.,
13. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाएं, आई.टी. आधारित सेवाएं, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें।

District Magistrate * Surajpur (C.G.) *

Scanned by CamScanner

14. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां,

15. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कामर्स आपूर्ति।

16. टेक अवे/होम डिलीवरी रेस्टोरेंट/पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं।

17. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित)

18. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया

19. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।

20. (अ.) जिले के अन्तर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान/ईकाईयों एवं खान (MINING) को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।

(ब.) समस्त औद्योगिक संस्थान/इकाईयां जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेगीं।

4.3.- सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेगें।

यहां यह भी तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि इस आपातस्थिति में व्यवहारिक तौर पर संभव नही है कि सूरजपुर जिले में निवासरत सभी नागरिकों को नोटिस तामिली करवाई जा सके। अतः एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत सूरजपुर जिले में पूर्व से लागू धारा 144 को उपरोक्तानुसार बढ़ाया जाना उचित है।

5. अतः मैं **दीपक सोनी,** कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सूरजपुर कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश 1214/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 19.3.2020 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 44/वाचक/2020 सूरजपुर दिनांक 22.03.2020 द्वारा 31.3.2020 एवं 1288/एस.डब्ल्यु/2020 सूरजपुर, दिनांक 31/03/2020, आदेश कमांक 61/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 14.4.2020 एवं आदेश कमांक 67/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 03.05.2020 द्वारा सम्पूर्ण सूरजपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए **दिनांक 17.5.2020 के पश्चात आने वाले माह मई 2020 के प्रत्येक शुकवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक लागू किये जाने**

District Magistrate * Surajpur (C.G.)

Scanned by CamScanner

का आदेश पारित करता हूं एवं उक्त समयावधि में कंडिका 4 में बताई गई समस्त गतिविधियों को प्रतिबंधित करता हूं। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

6. महामारी रोग अधिनियम 1897 तथा इसके संदर्भ में शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1-26/2020/17-1, दिनांक 13.03.2020 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेशों, आदेश क्रमांक 1254/एस.डब्ल्यू./2020 सूरजपुर दिनांक 24.03.2020, आदेश क्रमांक 1288/एस.डब्ल्यू./2020 सूरजपुर दिनांक 31/03/2020 एवं आदेश क्रमांक 1328/एस.डब्ल्यू./2020 सूरजपुर दिनांक 08/04/2020 को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। अतः उक्त आदेशों द्वारा एवं तत्पश्चात समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं इत्यादि को दी गई **छूट माह मई में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक की समयावधि को छोड़कर शेष दिवसों में छूट इस आदेश में भी यथावत रहेगी।**

कार्यालयीन आदेश कमांक 1487/एस.डब्ल्यु/2020 सूरजपुर, दिनांक 02/05/2020 के माध्यम से घोषित जजावल कन्टेन्मेंट क्षेत्र में यह आदेश लागू नहीं होगा। उक्त आदेश अनुसार वहां कोई भी गतिविधि संचालित करने की अनुमति नहीं है।

सूरजपुर जिले की **उपरोक्त जजावल कन्टेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर** जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के लिये दिनांक 17 मई 2020 के पश्चात आने वाले माह मई 2020 के प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे या आगामी आदेश, जो पहले आये तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।

आज दिनांक 08.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

District Magistrate * Surajpur (C.G.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 1532 A **/वाचक/2020** **सूरजपुर, दिनांक 08.05.2020**

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।

Scanned by CamScanner

4. पुलिस महानिरीक्षक, अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।
6. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (सर्व) जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. उप संचालक, जनसंपर्क, सूरजपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
8. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

District Magistrate Surajpur (C.G.)

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला-सूरजपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner